

प्रेस रिलीज़

18 दिसंबर 2019

नई दिल्ली

असम में हुई गिरफ्तारी और छापेमारी की पॉपुलर फ्रंट ने की निंदा

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवासीय विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने के आरोप में संगठन के असम प्रदेश अध्यक्ष अमीनुलहक की हुई गैरकानूनी गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। अमीनुलहक को कल हिरासत में लिया गया था और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है। असम पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश कार्यालय और कुछ प्रदेश पदाधिकारियों के घरों पर गैरकानूनी तरीके से छापेमारी भी की है।

पुलिस की यह दमनकारी कार्यवाही पूर्ण रूप से भेदभाव पर आधारित है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट का कोई भी लीडर या मेंबर किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं रहा है। पुलिस की कार्यवाही राज्य के एक मंत्री के बयान के बाद शुरू हुई, जिसमें बिना किसी सबूत के यह आरोप लगाया गया है कि एक विशेष घटना के पीछे पॉपुलर पर भी शामिल है। पॉपुलर फ्रंट की केंद्रीय सचिवालय ने इस आरोप को सरासर बेबुनियाद और बदनियति पर आधारित बताया है। केंद्रीय सचिवालय ने अमीनुलहक की तत्काल रिहाई की मांग की है।

पॉपुलर फ्रंट को अलग करके उसको निशाना बनाने के पीछे बीजेपी का असल एजेंडा आसामी जनता के इस संजातीय विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन में बदलना है, ताकि मौजूदा प्रदर्शन को आसानी से कमजोर और खत्म किया जा सके। केंद्रीय सचिवालय ने तमाम लोगों विशेषकर असम की आवाम से अपील की है कि वे बीजेपी सरकार की विभाजनकारी राजनीति से होशियार रहें और असम में पॉपुलर फ्रंट के साथ की जा रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाएं।

अब्दुल वाहिद सेट
राष्ट्रीय सचिव,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया